

राजस्थान सरकार



रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र

क्रमांक 100/मु०/२००५-०५

प्रमाणित किया जाता है कि श्री जी.वि.व्द. त्रिद्वज पात्रीक्षण
महाविद्यालय समिति बिसाड जिला मुम्बई का
राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 (राजस्थान अधिनियम
28,1958) के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकरण आज किया गया।

यह प्रमाण पत्र मेरे हस्ताक्षरों और कार्यालय की सील से आज
दिनांक २२/३/२००५ माह सितंबर सन् दो हजार चार
को मुम्बई में दिया गया।


रजिस्ट्रार संस्था
मुम्बई (राज०)
रजिस्ट्रार संस्था